न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 455–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–11–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील धार जिला धार प्रकरण कमांक 13/अ–13/2013–14.

1– मकबुल पिता मांगीलाल नायता
2– अनवर पिता मांगीलाल नायता
3– रफीक पिता मांगीलाल नायता
निवासीगण ग्राम कोट भिडोता
तहसील व जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

मम्मु पिता कोदा नायता
निवासी ग्राम कोट भिडोता
तहसील व जिला धार .....अनावेदक

श्री गोल्डी चौधरी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील धार जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील धार जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भिडोता तहसील व जिला धार में उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे कमांक 97 रकबा 2 बीघा है स्थित, जिस पर आने–जाने हेतु उसका

पैतृक रास्ता था, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ–13/2013–14 दर्ज कर दिनांक 27–11–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 131 एवं 32 को समझे बिना रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी आवेदकगण की भूमि से रास्ता देने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अन्तरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसी कारण अन्तरिम रास्ता देने का आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी अन्तरिम आदेश पारित किया गया है, और अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय की कार्यवाही में गम्भीर अनियमितता है, क्योंकि एक बार दिनांक 31–10–14 को अन्तरिम रूप से रास्ता दिये जाने हेतु प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, फिर दिनांक 27–11–15 को अन्तरिम आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है एवं अब पुनः दिनांक 12–8–16 को संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र पर निराकरण हेतु प्रकरण नियत किया गया है । तहसीलदार के समक्ष रास्ते का यह प्रकरण वर्ष 2012 से विचाराधीन है और तहसीलदार द्वारा अभी तक अन्तरिम आदेश से आगे कोई कार्यवाही

नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार को प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए दो माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें तथा उभय पक्ष तहसील न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर